राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत् अकाउटेन्ट कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं एक्जीक्यूटिव असिस्टेन्ट कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की भर्ती के संबंध में ऐसे टोकन धारियों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जिन्होंनें अपना आवेदन पत्र जमा नहीं कराया है

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज्य स्वास्थ्य समिति (राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन) राजस्थान जयपुर की विज्ञप्ति क्रमांक F2(172)NUHM/HRD/2015/602 Date 29-05-2015 की पालना में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम/द्वितीय के कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या एनयूएचएम/2015/162 दिनांक 9.06.15 एवं संशोधित विज्ञप्ति संख्या एनएचएम/2014-15/179 दिनांक 10.06.2015 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिला जयपुर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर अकाउटेन्ट कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के 59 पदो एवं शहर मुख्यालय पर एक्जीक्यूटिव असिस्टेन्ट कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के 2 पदो को वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से पूर्णतया संविदा आधार पर भर्ती करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियो का दिनांक 10.06.2015 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर के कार्यालय में अपने समस्त मूल दस्तावेजों , पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र में चाहे गये समस्त दस्तावेजो की एक-एक स्वप्रमाणित फोटो कॉपी के साथ बुलाया गया था अभ्यर्थियो की संख्या अधिक होने पर उन्हे फार्म जमा कराने हेतु टोकन नम्बर जारी किये गये थे। किन्तु प्राप्त आवेदन पत्रो व जारी टोकन की जॉच करने पर ये पाया गया कि कुछ अभ्यर्थी जिन को टोकन वितरित कर दिये गये थे परन्तु उनके आवेदन पत्र दिनांक 10.06.2015 को सहवन से जमा नही हो पाये थे। ऐसे अभ्यर्थियो को सूचित किया जाता है कि वे अपने आवेदन पत्र बन्द लिफाफे में दिनांक 14.06.2015 रविवार को दोपहर 2:00 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , सेठी कॉलोनी, जयपुर में स्थापित ड्रोप बोक्स में डाल दें। आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थियो को जारी टोकन की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक/अनिवार्य होगा। **इस अवधि के पश्चात् कोई भी ऐसा टोकन जिसका आवेदन पत्र जमा नही होगा को निरस्त कर दिया जावेगा तथा उस अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नही दी जावेगी ।** ऐसे टोकन धारी जिन्होने अपना आवेदन पत्र जमा नही कराया है कि सूची निम्नानुसार है--

ह०/-